न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, ए.एच.गौरी, आर.ए.एस

निर्णय दिनांकः 30—11—2021

अपील संख्याः 90 / 20
(जीसीएमएस संख्या 2020 / 00091)

1. दौलतराम पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति सोनी निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. बलराम पुत्र बूंटीराम जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. पतराम पुत्र रामेश्वर जाति सोनी निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. प्रभूदयाल पुत्र रामेश्वर जाति सोनी निवारी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. काशीराम पुत्र लिछमणराम जाति सोनी निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. अन्नाराम पुत्र लिछमणराम जाति सोनी निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. नायब तहसीलदार उप तहसील तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्व तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 20—12—2019
अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

उपस्थितः—

1. श्री विजय पारिक, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट्स ने यह अपील अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 20—12—2019 जिसके माध्यम से नायब तहसीलदार, तलवाड़ा झील के द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 439 दिनांक 02—05—2018 को निरस्त किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में भू—राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए व पूर्व में स्वीकृत खाला मौके पर बन्द होने की दशा में चक 7 एमजेडडब्ल्यू के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 में से नया खाला स्वीकृत किया गया। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 6 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में स्वीकृत खाले को निरस्त करते हुए उक्त खालें के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नामान्तरणकरण को निरस्त करते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलांट्स द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है।

3. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 7 एमजेडडब्ल्यू जोकि रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में से पूर्व में किला नम्बर 1, 2, 3, 4 व 5 में खाला दर्ज था। जोकि मौके पर चालू नहीं होकर बन्द था। जिसके कारण से आगे के काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के सिंचाई विभाग जिसके द्वारा काश्तकारों को उनकी जोत के लिये सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी है, के द्वारा किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 में से उक्त चक के आगे के काश्तकारों को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु खाला स्वीकृत किया गया तथा संबंधित नायब तहसीलदार, तलवाड़ा झील द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 439 दिनांक 02–05–2018 स्वीकृत करते हुए उक्त खालें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–12–2019 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट्स की अपील को स्वीकार करते हुए इंतकाल संख्या 439 दिनांक 02–05–2018 को विधि विरूद्व तरीके से व मौके की स्थिति के विपरीत जाकर निरस्त कर दिया गया। प्रकरण में उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग द्वारा मौक पर काश्तकारों को पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही चक प्लान के अनुसार खाला की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो सिंचाई विभाग को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया है ना ही रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिंचाई विभाग जो की प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, व जिसके द्वारा खाला स्वीकृत किया गया है, को पक्षकार स्थापित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौके की सही स्थिति उपलब्ध नहीं होने की दशा में अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट्स के कथन मात्र पर विश्वास करते हुए विधि सम्मत तरीके से दर्ज खाला के इंतकाल को निरस्त करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या वास्तव में काश्तकारों को मौके पर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं? व क्या पूर्व में स्वीकृत खाला बन्द है अथवा नहीं? व क्या सिंचाई हेतु नये खाले की आवश्यकता है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इन किसी भी बिन्दु पर अपना कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है ना ही अदालत मातहत द्वारा इन तथ्यों की किसी प्रकार से कोई जॉच ही की गई है। मात्र यह अंकित करते हुए खाला स्वीकृति/निरस्तीकरण के आदेशों की पालना भू-प्रबन्ध अधिकारी के माध्यम से करवाये जाने के प्रावधान होने को आधार बनाते हुए आदेश जैर अपील के माध्यम से इंतकाल संख्या 439 को निरस्त करने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि प्रकरण में यह निर्विवाद है कि उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड रावतसर के पत्र दिनांक 23-08-2017 जिसके माध्यम से स्वीकृत खालाके राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने की मांग की गई थी, पर संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किये जाने पर स्वीकृत चक प्लान के अनुसार स्वीकृत खाला का नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि उपखण्ड अधिकारी ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से उक्त नामान्तरणकरण को स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये थे। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत की यह व्याख्या कि भू-प्रबन्ध अधिकारी के माध्यम से खाला स्वीकृत/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, विधि के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में गलत व्याख्या है। वादग्रस्त भूमि पर जो खाला स्वीकृत किया गया है उक्त खाले से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है वरन् ग्रामवासियों/काश्तकारों को अपनी जोत पर सिंचाई हेतु सुविधा ही उपलब्ध होगी। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअदांज करते हुए आदेश जैर अपील के माध्यम से नामान्तरणकरण संख्या 439 को निरस्त करने के आदेश प्रदान किये गये है। जो विधि विरूद्व आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा धारा 96 सीपीसी पर बहस करते हुए कथन किया वे अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार है क्योंकि पूर्व में किला नम्बर 1, 2, 3, 4 व 5 में खाला बन्द होने के कारण किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 में से खाला स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश से अपीलांट्स व अन्य काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। यदि अपीलाधीन आदेश की पालना में अपीलांट्स व अन्य काश्तकारों को उपलब्ध सिंचाई की सुविधा बन्द हो गई तो अपीलांट्स को क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट्स द्वारा बतौर व्यथित पक्षकार अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है व अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। लिहाजा अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने मियांद के बिन्दु पर कथन किया कि चूंकि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत अपील में

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया। ऐसीस्थिति में अपीलाधीन आदेश की जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हो सकी। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 01–09–2020 को प्राप्त हुई जब हल्का पटवारी द्वारा यह कथन किया गया कि पूर्व में दर्ज इंतकाल को अपीलाधीन आदेश की पालना में निरस्त कर दिया गया है। तब ईल्म के बाद अपीलाधीन आदेश की नकल व अन्य दस्तावेजात् प्राप्त होने पर अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा धारा 96 व मियांद के संबंध में अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1981 पेज 180, आरआरडी 1984 पेज 261, आरआरडी 1981 पेज 204, आरआरडी 1999 पेज 98, आरआरडी 1993 पेज 232, आरआरडी 1993 पेज 44, आरआरडी 1977 पेज 615 व आरआरडी 2008 पेज 755 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि चक 7 एमजेडडब्ल्यू में से नायब तहसीलदार तलवाड़ा झील द्वारा जल संसाधन खण्ड रावतसर के आदेश दिनांक 23–08–2017 की पालना में किला नम्बर नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 में खाला स्वीकृत करते हुए नामान्तरणकरण दर्ज किया गया, के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करते हुए उक्त आदेश को खारिज करने की इस्तदुआ किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा यह पाये जाने पर इंतकाल संख्या 439 स्वीकृत दिनांक 02–05–2018 अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड रावतसर के पत्र के अनुसरण में दर्ज किये गये है, जबकि विधि अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा खाला स्वीकृत भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेशों की पालना में किये जाने के प्रावधान कानून में निहित है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई आदेश भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में खाला स्वीकृति का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण स्वमेव शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अदालत मातहत द्वारा इसी को आधार बनाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जोकि विधि सम्मत आदेश है।

उन्होनें आगे कथन किया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि यदि किसी काश्तकार/पक्षकार के विरूद्व कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। जबकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि में से खाला स्वीकृत करने से पूर्व व उक्त खाले का राजस्व रिकार्ड में अर्थात नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट्स को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश होने के आधार पर अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खाला स्वीकृति/नामान्तरकरण संख्या 439 को निरस्त करने के आदेश कानूनी प्रावधानों के तहत प्रदान किये गये है। जोकि विधि सम्मत आदेश है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आगे कथन किया गया कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष जैरकार रिट याचिका संख्या 8308/2017 आत्माराम बनाम सरकार में स्थगन आदेश पारित किया गया था। उक्त स्थगन आदेश के प्रभाव में रहने व इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि में से खाला स्वीकृति व नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किया जाना उच्चतर न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में निर्णय पारित करते हुए प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलांट्स यदि उक्त आदेश से व्यथित भी है तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टिब्बी के समक्ष उपस्थित होते हुए अपनी आपत्ति व्यक्त करनी चाहिए थी। चूंकि प्रकरण का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या वास्तव में मौके पर खाला स्वीकृति की आवश्यकता है अथवा नहीं? इस तथ्य की जॉच संबंधित तहसीलदार द्वारा की जानी है व तत्समय ही अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स जोकि व्यथित पक्षकार है, को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए मौके की स्थिति के अनुसार आदेश पारित होने है। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत तरीके से मौके व रिकार्ड के अनुसरण में आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसे आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

उन्होनें आगे कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–12–2019 के विरूद्व दिनांक 14–09–2020 को प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे मियांद को कण्डोन करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 20–12–2019 जिसके माध्यम से नायब तहसीलदार, तलवाड़ा झील द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 439 दिनांक 02–05–2018 को निरस्त करने के आदेश प्रदान किये गये है, से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने की इस्तदुआ की गई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी अर्थात अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त है अथवा नहीं? का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में सिंचाई विभाग द्वारा किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 में से खाला स्वीकृत किया गया है। उक्त खाला स्वीकृति से अपीलांट्स व अन्य काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। अपीलाधीन आदेश के अनुसरण में यदि मौके पर खाला बन्द किया जाता है व अपीलांट्स व अन्य काश्तकारों को उपलब्ध सिंचाई की सुविधा बन्द की जाने की स्थिति में अपीलांट्स प्रभावित पक्षकार है। लिहाजा अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स अर्थात व्यथित पक्षकारों को पक्षकार स्थापित किये बिना व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा मियांद को कण्डोन करने के जो कारण मियांद प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये गये है, वे संतोषजनक कारण पाये जाने से अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, रावतसर के पत्र क्रमांक टी/14/डीबीएलके/257 दिनांक 23-08-2017 की अनुपालना में उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा तहसीलदार टिब्बी को स्वीकृत चक प्लान के अनुसरण में खाला स्वीकृत का नामान्तरणकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने का मुख्य आधार यह लिया गया है कि सिंचाई विभाग को खाला स्वीकृति/निरस्तीकरण के अधिकार प्राप्त नहीं है वरन् भू-प्रबन्ध अधिकारी के माध्यम से खाला स्वीकृति/निरस्तीकरण के प्रावधान निहित होने से प्रकरण को पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णित करने के आदेश पारित किये गये है। प्रस्तुत प्रकरण में सिंचाई विभाग द्वारा चक प्लान के अनुसार पूर्व में स्वीकृत खाला जोकि किला नम्बर 1, 2, 3, 4 व 5 में दर्ज था जो मौके पर बंन्द होने की अवस्था में किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 में से खाला स्वीकृत चक प्लान के अनुसार आगे के कारश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत तरीके से उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को पत्र लिखते हुए उक्त स्वीकृत खाले का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करने हेतु लिखे जाने पर उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा संबंधित तहसीलदार अर्थात तहसीलदार, टिब्बी को निर्देशित किये जाने पर उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकणकरण संख्या 439 दिनांक 02-05-2018 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है।

प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी द्वारा लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत द्वारा अपनी व्याख्या विधिक रूप से नहीं करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना साबित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

8. अतः उक्त विवेचना के प्रकाश में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–12–2019 निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 30–11–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर